न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–182/2025–26

राज्य बनाम बोधी महतो।

कमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
31.7.25	अभिलेख उपस्थापित। अपर सगाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा0, दिनांक–28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक–695 (5)/रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जमाबंदी रैयत/उनके वंशज द्वारा अपने जमाबंदी के पक्ष में दिये गये राजस्व रसीद आदि का अंचल में संधारित भण्डार पंजी से जांच किया गया। जमाबंदीदार द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं जांचोपरांत स्पष्ट होता है कि श्री बोधी महतो के नाम से मौजा–मोहनपुर थाना नं0 144 खाता नं0, 02 प्लॉट नं0, 108 रकवा 10.00 ए0 गैरमजरूआ खास भूमि किस्म जंगल–झाडी पंजी ॥ के पृष्ट सं0 160/1 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया। आवेदक रिर्टन की प्रति दाखिल करने में असमर्थ रहे। जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम हुई है। यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। अभिलेख एवं अभिलेख में संलंग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत के नाम से वर्ष 1991 में जमाबंदी कायम की गई है। वर्ष 1992,2000,2002 एवं 2011 में निर्गत रसीद की छाया प्रति दाखिल की गई है शेष दाखिल रसीद अपठनीय है। जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है और ना ही भूमि प्राप्ति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकार के आदेश से जमाबंदी कायम नही की गई है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाडी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं	

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 में प्रतिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नही पाये गये तथा WP(C) संख्या 202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल–झाडी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाडी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। इस संबंध में जमाबंदी रैयत को दिनांक–25.06.2016 26.02.2020 03.07.2021, 08.08.2023 एवं 08.04.25 को नोटिश दिया गया। जमाबंदी रैयत उपस्थित हुये एवं कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। मौजा–मोहनपुर थाना नं0 144 खाता नं0, 02 प्लॉट नं0, 108 रकवा 10.00 ए0 किस्म जमीन जंगल–झाडी गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षति कारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधनें के लिए जमाबंदी कायम हुई है।अभिलेख का संधारण 10.10 ए0 के निमित्त किया गया है, परन्तु बौधी महतो के नाम से कायम जमाबंदी 10.00ए0 है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् मौजा–मोहनपुर थाना नं0 144 खाता नं0, 02 प्लॉट नं0, 108 रकवा 10.00 ए0 किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के पृष्ट सं0 160/1 पर बौधी महतो ग्राम मोहनपुर के नाम कायम है, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

31.7.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

31.7.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.08.20 12:32:50 +05:30
Location: 192.168.131.72

Scanned with OKEN Scanner